भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2745

उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

शैक्षणिक पदानुक्रम का निर्बाध संक्रमण

2745 **श्री देरेक ओब्राईन:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास के माध्यम से शैक्षणिक पदानुक्रम का निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित करने हेतु क्या पहलें की गई हैं;

(ख) सरकार द्वारा प्रदान की गई कौशल विकास सुविधाओं तथा रिक्तियों की संख्या क्या है;

(ग) कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तत्पश्चात कितने विद्यार्थियों को रोजगार में नियोजन प्राप्त हुआ, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुसार, स्कूल शिक्षा से उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार में छात्रों के निर्बाध परिवर्तन की सुविधा के लिए कई पहलें शुरू की हैं। एनईपी 2020 में कौशल और शैक्षणिक शिक्षा के एकीकरण और अधिगम की विभिन्न धाराओं के बीच कठिन अलगाव को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप, शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2021 को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) योजना शुरू की है ताकि शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से निर्बाध संक्रमण के लिए एक अद्वितीय आईडी बनाई जा सके। इस योजना का उद्देश्य पाठ्यक्रम ढांचे में लचीलापन, एक से अधिक प्रवेश एक से अधिक निकास को बढ़ावा देना, इंटरऑपरेबल शैक्षणिक भंडार को सुगम बनाना, उचित 'क्रेडिट ट्रांसफर' के साथ छात्रों की अंतःविषय गतिशीलता, छात्रों की प्रगति में दृश्यता और कई स्तरों पर निर्णय-निर्माण को लक्षित करना है। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ-साथ कौशल संस्थानों से दिए

गए क्रेडिट को संग्रहीत करने के लिए स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (अपार) आईडी डिज़ाइन की गई है।

(ख): समग्र शिक्षा के कौशल शिक्षा घटक के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 तक 31,477 अनुमोदित स्कूलों में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 25,181 स्कूलों में कौशल शिक्षा लागू की गई है। इसके अलावा, 7,127 कार्यात्मक माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक पीएम श्री स्कूलों में एकीकृत कौशल प्रयोगशालाएं हैं। सीबीएसई और राज्य स्कूलों, जवाहर नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थान भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत कौशल हब के रूप में कार्य करते हैं। उच्चतर शिक्षा में, कौशल-आधारित शिक्षा सामुदायिक कॉलेजों, बी.वोक. डिग्री कार्यक्रमों और कौशल प्राप्त मानव क्षमताओं एवं आजीविका के ज्ञान अधिग्रहण तथा उन्नयन हेतु दीन दयाल उपाध्याय केंद्रों (डीडीयू-कौशल) के माध्यम से समर्थित है। यूजीसी और एआईसीटीई ने प्रशिक्षुता एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी), 2025 के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा, अनुभवात्मक शिक्षा, नवाचार और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए 424 एआईसीटीई विचार प्रयोगशाला स्थापित किए गए हैं।

(ग): कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता निर्धारित योग्यता ढांचे, योग्यता और परिणाम-आधारित पाठ्यक्रम, मानकीकृत शिक्षण संसाधनों, शिक्षक/संकाय क्षमता निर्माण, व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्योग वार्तालाप के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत कौशल पाठ्यक्रम एनएसक्यूएफ के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमशीलता कौशल और हरित कौशल को शामिल करने वाले अनिवार्य रोजगार कौशल शामिल हैं। एनसीईआरटी/पीएसएससीआईवीई योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम विकसित करते हैं तथा शिक्षकों/कौशल प्रशिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। सीबीएसई योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम में समय-समय पर संशोधन करता है, मानकीकृत शिक्षकों और छात्रों की हस्तपुस्तिका और अन्य शैक्षणिक संसाधन तैयार करता है, शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है और उभरती प्रौद्योगिकियों एवं उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर कौशल शिक्षा पाठ्यक्रमों को अद्यतन करता है। उच्चतर शिक्षा में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद प्रौद्योगिकी प्रगति और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से मॉडल पाठ्यचर्या में संशोधन करता है जिसमें शिक्षाविद, उद्योग विशेषज्ञ, व्यावसायिक निकाय और सरकारी स्टेकहोल्डर शामिल होते हैं।

(घ): समग्र शिक्षा के तहत स्कूल स्तर पर कौशल शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा को एकीकृत करना, छात्रों की रोजगार क्षमता और उद्यमशील क्षमताओं का संवर्धन करना एवं उन्हें भावी करियर के मार्ग के बारे में पूर्व-सूचित विकल्प देने में सक्षम बनाना है। तदनुसार, कौशल शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के नियोजन और रोजगार संबंधी आंकडे शिक्षा मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।
